न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : राकेश कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 13/2015

अपीलांट्स–

1. जगदीश पुत्र हराराम
2. खंगाराराम पुत्र वीराराम
3. कोजाराम पुत्र प्रहलादराम
4. आसूराम पुत्र मानाराम
   जाति विश्नोई
5. मालाराम पुत्र जयरूपाराम
6. भूपाराम पुत्र जयरूपाराम
7. मांगीलाल पुत्र प्रहलादराम
8. पीराराम पुत्र प्रेमाराम
9. चुन्नीलाल पुत्र पीराराम
   जाति मेघवाल
10. रूगनाथ पुत्र हुकमाराम
11. हुकमाराम पुत्र भलाराम
    जाति विश्नोई निवासी सालु
    की ढाणी ग्राम पंचायत
    सिन्धासवा हरनियान तहसील
    गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. पूनमचन्द पुत्र काछबाराम
2. भूराराम पुत्र कोजाराम
3. लुम्बाराम पुत्र कोजाराम
4. चैनाराम पुत्र कोजाराम
   जाति विश्नोई निवासी राजस्व
   ग्राम पादरड़ी खुर्द ग्राम पंचायत
   सिंधासवा हरनियान तहसील
   गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू–राजस्व अधि0, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 31.03.15 जो प्रकरण सं. 02/2014 सरकार बनाम पूनमचन्द व अन्य मे नायब तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पारित किया।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

उपस्थिति :–
1. श्री सोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री दलपतसिंह सिसोदिया, रेस्पोडेंट सं. 1से4 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 19/02/2019

1. अपीलार्थी की ओर से यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत नायब तहसीलदार गुड़ामालानी के द्वारा प्रकरण

अपर कलेक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

सं. 02/2014 मे पारित रिव्यु आदेश दिनांक 31.03.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि पटवारी हल्का सिंधासवा हरनियान ने दिनांक 11.10.2014 को एक रिपोर्ट तहसीलदार तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सालु की ढाणी के खसरा नम्बर 617 रकबा 00–14 बीघा गैर मुमकीन गोचर की भूमि मे हो रहे निर्माण कार्य को मौतबिरान के रूबरू नोटिस चस्पा कर निर्माण नही करने बाबत पाबंद किया गया, जिसकी मौका फर्द पेश है। इस पर तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा नायब तहसीलदार को प्रकरण दर्ज कर गैर सायलान को नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गये। इस पर नायब तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत दर्ज कर दोनो पक्षों की सुनवाई एवं मौका कब्जा की भौतिक स्थिति की रिपोर्ट के आधार पर गैर सायलान (रेस्पोडेंट्स) को गैर मुमकीन गोचर की भूमि पर अतिक्रमण करने के कारण अतिक्रमी घोषित करते हुए बेदखल करने का निर्णय दिनांक 07.01.2015 पारित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध रेस्पोडेंट्स पूनमचन्द द्वारा एक रिव्यु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसे आदेश दिनांक 06.02.2015 के द्वारा स्वीकार कर प्रकरण पुनः सुनवाई मे लिया गया तथा भू–अभिलेख निरीक्षक, गुड़ामालानी एवं हल्का पटवारी से वर्तमान मौका स्थिति की रिपोर्ट तलब की गई। भू–अभिलेख निरीक्षक, गुड़ामालानी एवं हल्का पटवारी सिंधासवा हरनियान से प्राप्त जांच रिपोर्ट पर दोनो पक्षों की सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 31.03.2015 के द्वारा मूल निर्णय दिनांक 07.01.2015 को निरस्त कर प्रकरण नियमानुसार दर्ज नही होने के कारण खारिज कर दिया। इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह प्रथम अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलांट्स की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अपीलाधीन रेकर्ड मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष को सुना। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि ग्राम सालु की ढाणी के खसरा नम्बर 617 रकबा 0–14 बीघा गैर मुमकीन गोचर भूमि पर अतिक्रमण की सूचना प्राप्त होने पर हल्का पटवारी द्वारा मौके पर पहुंचकर निर्माण

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

कर्तागण को पाबन्द करते हुए रिपोर्ट तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष प्रस्तुत की गई। इस पर तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा नियमानुसार प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी करने हेतु नायब तहसीलदार गुड़ामालानी को निर्देशित किया गया। नायब तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा गैर सायलान को नोटिस व सुनवाई उपरांत निर्णय दिनांक 07.01.2015 के द्वारा अतिक्रमी घोषित कर जुर्माना अधिरोपित किया तथा बेदखली का आदेश पारित किया। इसके पश्चात नायब तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा स्थानीय विधायक के प्रभाव मे आकर अपीलांट्स को सूचना दिये बिना ही एकपक्षीय सुनवाई के द्वारा रिव्यु करते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई पर लिया गया। जिसकी अपीलांट्स को जानकारी नही हुई तथा दिनांक 12.06.2015 को नकलें प्राप्त करने पर जानकारी होने से यह अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई है।

5. अपीलांट्स के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 11.03.2015 मे हल्का पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक ने यह पाया है कि पूनमचन्द, काछबाराम, भूराराम व लुम्बाराम द्वारा खेली का निर्माण किया गया। इस आधार पर पूनमचन्द वगैरह खसरा नम्बर 617 के अतिक्रमी है, लेकिन इस अतिक्रमण के लिए उन्होने ग्राम पंचायत सिंधासवा से अनुमती ली है व अनुमति अनुसार ही निर्माण कराया गया है। उक्त मौका रिपोर्ट तत्कालीन विधायक के प्रभाव मे आकर तैयार की गई है तथा इसके आधार पर नायब तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। इससे पूर्व नायब तहसीलदार द्वारा इसी निर्माण को लेकर रेस्पोडेंट्स को अतिक्रमी घोषित कर उन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया है तथा मौके से अतिक्रमण हटाने का निर्णय दिनांक 07.01.2015 पारित किया गया है। इस आदेश मे न तो कोई विधिक त्रुटि हुई है और न ही कोई टंकण या लिपिकीय भूल हुई थी, जिसका पुर्नावलोकन किया जा सके। अपीलाधीन आदेश नायब तहसीलदार गुड़ामालानी के कार्यक्षेत्र व निहित शक्तियों के अनुरूप नही है इसलिए कानूनी रूप से सही नही होने से निरस्त योग्य है। अतः अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.03.2015 को निरस्त कर मूल निर्णय दिनांक 07.01.2015 को यथावत बहाल रखा जावें एवं विकल्प मे उक्त दोनो ही आदेश अपास्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को रिमाण्ड किया जावें।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

6. रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने जवाब मे प्रकट किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.03.2015 सही एवं विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के तहत पारित है जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील

अपर कलक्टर-बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

सारहीन होने से काबिल खारिज है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश दिनांक 07.01.2015 रेस्पोडेंट्स (गैर सायलान) की अनुपस्थिति मे औपचारिक रूप से बिना गुणावगुण पर पारित होने से विधि सम्मत नही कहा जा सकता है, जबकि पुर्नावलोकन आदेश विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं तथ्यों के गुणावगुण पर न्यायसंगत पारित किया है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के सुस्थापित सिद्धान्त के अनुसार निर्णीत पत्रावली का पुर्नावलोकन करने की शक्ति उसी न्यायालय मे नही होने का कथन गलत है। धारा 86(2) मे पुर्नावलोकन का स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी राजस्व न्यायालय स्वंय के आदेश अथवा अन्य पीठासीन अधिकारी के पदीय हैसियत से दिये गये आदेश पुर्नावलोकन कर सकेगा तथा उचित आदेश दे सकेगा। ग्राम पंचायत की सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के अनुसरण मे उक्त सार्वजनिक खेली व चबूतरा का निर्माण किया गया है। हल्का पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट, ग्राम पंचायत के प्रस्ताव व गवाहों के बयान के आधार पर नायब तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा मेरीट पर गुणावगुण पर विवेचन उपरांत अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। इसलिये अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय एवं आदेश मे कोई वैधानिक त्रुटि न होने से सही व सनद है, जिसके विरूद्ध यह अपील काबिले खारिज है।

7. हमने दोनो पक्षों द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि पटवारी हल्का सिंधासवा हरनियान ने दिनांक 11.10.2014 को एक रिपोर्ट तहसीलदार तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सालु की ढाणी के खसरा नम्बर 617 रकबा 00–14 बीघा गैर मुमकीन गोचर की भूमि मे हो रहे निर्माण कार्य को मौतबिरान के रूबरू नोटिस चस्पा कर निर्माण नही करने बाबत पाबंद किया गया, जिसकी मौका फर्द पेश है। इस पर तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा नायब तहसीलदार गुड़ामालानी को नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। नायब तहसीलदार द्वारा गैर सायलान को नोटिस जारी कर जवाब हेतु तलब किया गया। निर्धारित सुनवाई तिथी पर गैर सायलान की ओर से अधिवक्ता श्री डालूराम ने उपस्थित होकर आयन्दा वकालतनामा प्रस्तुत करने की अण्डरटेकिंग ली गई। आगामी सुनवाई तिथी 01.01.2015 को गैर सायलान की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत किया गया तथा जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा जो दिया गया। इसके पश्चात सुनवाई तिथी 07.01.2015 को अप्रार्थी एवं उनके

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

अधिवक्ता उपस्थित नही हुए तथा न ही जवाब प्रस्तुत किया गया, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय सुनवाई कर निर्णय पारित कर दिया। दिनांक 06.02.2015 को रेस्पोडेंट पूनमचन्द द्वारा जरिये अधिवक्ता पुर्नावलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रिव्यु अधीन निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त का हनन हुआ है। इस रिव्यु प्रार्थना पत्र मे अधिनस्थ न्यायलय के द्वारा निर्णय पारित करने मे हुई किसी भी अभिलेखीय तौर पर परिलक्षित होने वाली किसी त्रुटि का विवरण नही दिया गया है। इसके बावजूद भी नायब तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा रिव्यु प्रार्थना पत्र पर सुनवाई कर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। जबकि रिव्यु के आधार अत्यन्त सीमित है कि "An error apparent on the face of record can be rectified by the review petition... In exercise of the jurisdiction under review it is not permissible for an erroneous decision to be "reheard and corrected" अर्थात् निर्णय लेखन मे हुई किसी टंकणीय अथवा लिपिकीय भूल का सुधार ही रिव्यु के द्वारा किया जा सकता है। यदि पक्षकारान निर्णय मे न्यायालय द्वारा दिये गये निष्कर्ष को त्रुटिपूर्ण मानते हुए उससे असंतुष्ट है तो उन्हे अपील न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर चाराजोई करनी चाहिए। हस्तगत प्रकरण मे नायब तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर अपील न्यायालय द्वारा विवेच्य तथ्यों एवं सुनवाई की शक्तियों के अधीन रिव्यु आदेश पारित कर धारा 91 की कार्यवाही को खारिज किया है, जो विधि अनुकूल नही होने से बहाल रखा जाना उचित प्रतीत नही होता है। जहां तक प्रकरण की मेरीट का प्रश्न है तो अधिवक्ता रेस्पोडेंट का अभिकथन है कि मौके पर कराया गया निर्माण ग्राम पंचायत की सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के अनुसरण मे जनहित मे है तथा किसी भी पक्षकार के निजी हित मे नही है। विवादित भूमि खसरा नम्बर 617 रकबा 00–14 बीघा को जिला कलक्टर महोदय के आदेश दिनांक 25.04.2018 के द्वारा गैर मुमकीन शमशान के रूप मे आवंटन किया जा चुका है तथा इस आवंटन के बदले गोचर भूमि की क्षतिपूर्ति के रूप मे ग्राम पादरड़ी कला के खसरा नम्बर 267 रकबा 26–00 बीघा किस्म बा0दो0 मे से 00–14 बीघा भूमि गोचर मे परिवर्तित की जा चुकी है। इस प्रकार विवादित भूमि की प्रकृति मे परिवर्तन हो चुका है, ऐसे मे धारा 91 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, के तहत पारित किया गया मूल आदेश दिनांक 07.01.2015 भी निष्फल (Infructuous) हो गया है।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रकरण सं. 02 / 2014 मे पारित किया गया रिव्यु आदेश दिनांक 31.03.2015 एवं मूल निर्णय दिनांक 07.01.2015 अपास्त कर प्रकरण तहसीलदार गुड़ामालानी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि दोनो पक्षों को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विवादित भूमि के मौके कब्जे एवं निर्माण के सम्बन्ध मे जांच कर नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण करें।

9. आदेश आज दिनांक 19.02.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(राकेश कुमार)
अपर जिला कलक्टर
बाड़मेर

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)